

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 11/2017

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लंबित वाद	40	5021	679	505	1734	7979	491
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	35	4837	667	500	1700	7739	478
3	कुल अवशेष वाद	5	184	12	5	34	240	13
4	आवश्यकता नहीं	3	82	1	1	11	98	0
5	अवशेष वाद	2	102	11	4	23	142	13

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 11/2017

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा०सर्वोच्च न्यायालय				मा०उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकारण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	21	21	-	-	39	39	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	19	17	2	-	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	-	-	-	-	25	23	2	-	6	6	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-
5	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	269	262	7	-	47	46	1	-	107	106	1	-	125	125	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	5	4	-	1	866	804	21	41	96	94	1	1	28	27	1	-	349	347	-	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	3	1	-	2	161	160	1	-	18	18	-	-	31	31	-	-	49	41	1	7
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	-	-	-	-	196	166	4	26	35	35	-	-	14	13	-	1	101	100	-	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	2	-	-	93	84	2	7	12	12	-	-	-	-	-	-	31	31	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	1	1	-	-	120	117	3	-	14	13	1	-	26	26	-	-	42	42	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	21	21	-	-	3	3	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	1	1	-	-	196	184	8	4	43	42	1	-	45	45	-	-	164	152	11	1
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	174	166	7	1	35	34	1	-	33	33	-	-	18	17	1	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	1	1	-	-	50	47	2	1	5	5	-	-	3	3	-	-	16	14	2	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	5	5	-	-	356	347	9	-	51	50	1	-	18	18	-	-	347	347	0	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	2	2	-	-	69	68	1	-	19	19	-	-	4	4	-	-	56	55	1	-
18	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	1	1	-	-	135	131	4	-	22	22	-	-	32	32	-	-	39	32	7	-

19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	3	3	-	-	212	209	3	-	21	21	-	-	14	14	-	-	193	193	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर					18	18			3	3	-	-	1	1			3	3		
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	-	1	-	473	465	8	-	56	56	-	-	30	30	-	-	30	30	-	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	261	257	4	-	41	40	1	-	26	25	1	-	32	32	-	-
23	मु0अ0, नलकूप, वराणसी	3	2	1	-	404	399	5	-	38	38	-	-	29	29	-	-	60	60	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	5	5	-	-	781	774	7	-	62	60	2	-	26	26	-	-	59	59	-	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	90	89	1	-	7	5	2	-	32	31	1	-	11	11	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	40	35	2	3	5021	4837	102	82	679	667	11	1	505	500	4	1	1734	1700	23	11

कुल लम्बित वाद-7979

प्रतिशपथपत्र दाखिल-7739

अवशेष-142

आवश्यकता नहीं-98

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार अवमाननावादों का विवरण माह 11/2017

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा०सर्वोच्च न्यायालय				मा०उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकारण				मा०श्रम न्यायालय				अन्य			आ० न०
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	-	-	-	-	25	25	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	-	-	-	-	80	79	1	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	-	-	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	-	-	-	-	36	36	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	-	-	-	-	3	2	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झोंसी	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	23	23	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	14	14	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	-	-	-	-	2	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	23	22	1	-	6	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-

17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	-	-	-	-	5	5	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	-	-	-	-	18	18	-	-	11	11		-	-	-	-	-	1	1	-	
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	46	46	-	-	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	17	17	-	-	4	4		-	-	-	-	-	-	-	-	
23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	-	-	-	-	35	35	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	1	1			33	33	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	13	13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	1	1	0	0	393	389	4	0	88	79	9	0	0	0	0	0	9	9	0	0

कुल लम्बित वाद-491

प्रतिशपथपत्र दाखिल-478

अवशेष- 13

आवश्यकता नहीं-0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मासिक सूचना

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 11/2017

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य अभियन्ता(सोन), वाराणसी	1	2	0	3
2	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	1	1	0	2
3	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	1	0	1
4	मुख्य अभियन्ता (सरयू-द्वितीय), गोण्डा	0	3	0	3
5	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	1	1	0	2
6	मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद	1	0	0	1
7	मुख्य अभियन्ता, (नलकूप मध्य) लखनऊ	0	1	0	1
	योग	4	9	0	13

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 11/2017

क्र० सं०	संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर दिया गया है	वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है।	वादों की संख्या जिनका अनुपालन नहीं किया गया है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिज्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है	जिनमें एस०एल० पी० दायर है	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	59	2	58	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	4	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	25	25	17	8	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	45	35	35	9	5	-	-	-	2	-	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	11	11	11	-	1	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	22	22	12	1	-	-	-	1	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	24	24	12	12	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	140	53	39	14	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर,, इलाहाबाद	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	76	70	65	6	3	-	-	-	-	-	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	17	6	11	5	2	-	-	3	-	-	-

18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	77	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	4	3	1	1		1		-	-	-	-
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	265	248	202	46	42	2	-	1	1	-	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	26	26	16	10	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	237	237	219	18	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फेजाबाद	342	316	297	32	41	2	-	-	-	1	
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	61	61	22	39	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0 राज्य अभियंत्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1625	1464	756	204	95	6	0	5	3	1	0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र0 सं0		माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2017 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2017 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभियुक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य अभियन्ता स्तर-2											
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	7	8	0	6	6	1	1	2	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या 5763/एसएस/2012 मिनिस्ट्रीरियल एसो0 इरीगेशन डिपार्टमेंट बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में उ0प्र0शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0	5	8	13	3	7	10	2	1	3	अधिसासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि वादी द्वारा वाद दायर किये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा विना सुनवाई किये वाद में सीधे निर्णय पारित करने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी, तथा मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार वादी को भुगतान कर दिया गया है।
4	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	गण्डक, गोरखपुर	93	42	135	86	41	127	7	1	8	-
6	गंगा, मेरठ	3	0	3	0	0	0	3	0	3	-
7	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-

8	सरयू-प्रथम, फैजाबाद	3	136	139	3	108	111	0	4	4	<p>1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।</p> <p>2-18 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।</p> <p>3-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।</p> <p>4-01 वाद की रिट अभी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>5-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।</p> <p>6-01 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।</p> <p>कुल 02+18+1+1+1+1=24</p>
9	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	14	28	42	13	28	41	1	0	1	-
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	67	11	78	58	11	69	2	0	2	<p>1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>2-इलाहाबाद में 02 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।</p>
11	परियोजना बेतवा, झांसी	73	13	86	70	13	83	3	0	3	<p>जनवरी-2012 से जुलाई-2017 तक मा0 उच्च न्यायालय में 03वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही मण्डल/खण्ड द्वारा की जा रही है।</p>
12	बेतवा, झांसी	39	8	47	36	7	43	3	1	4	-
13	रामगंगा कानपुर।	174	22	196	162	22	184	8	0	8	<p>1- एक रिट याचिका उ0प्र0 सरकार की ओर से दाखिल की गयी है जिसमें विपक्षी को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करना है। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ बेंच में योजित याचिकाओं में विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करना शेष नहीं है।</p> <p>2- 03 वादों में याचिका विभाग की ओर से प्रस्तुत की गयी है इसलिये विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करना है।</p> <p>3- कुल 04 वादों में विभाग की ओर से याचिका दाखिल अतः शपथ पत्र दाखिल नहीं होना है। कुल 04 वादों में आवश्यकता नहीं है इलाहाबाद में।</p>

14	बाणसागर, इलाहाबाद	25	3	28	22	3	25	2	0	2	01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
15	सोन वाराणसी	132	9	141	124	9	133	8	0	8	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
16	अनुसंधान एवं नियोजन	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-
17	शारदा बरेली	32	106	138	31	98	129	1	6	7	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये है कि 'याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये है, अतः प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एमएस/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया है। अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में -1+1=2 वाद)
18	शारदा सहायक, लखनऊ	46	178	224	37	125	162	5	16	21	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 04 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 37वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में 37 एवं इलाहाबाद में 04=41)
19	नलकूप मध्य, लखनऊ	54	133	187	48	124	172	6	9	15	-
20	नलकूप पश्चिम, मेरठ	98	58	156	96	96	152	2	2	4	-
21	नलकूप, वाराणसी	137	18	155	128	16	144	9	2	11	-

22	नलकूप, पूर्व फैजाबाद	28	141	169	27	136	163	1	5	6	-
23	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	18	16	34	18	13	31	0	2	2	कालम-6 में रिट याचिका संख्या-19319/ए0वी0/2017 मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण पारित आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय बैंच लखनऊ में योजित की गयी हैं। अतः शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (01 वाद में आवश्यकता नहीं है।)
24	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 10/2017 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या-3650/एस0एस0/2012 श्री मती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में आवश्यकता नहीं है।
25	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-

27	जल संसाधन लखनऊ	1	2	3	1	2	3	0	0	0	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट पिटीशन संख्या-21941/2017 चीफ स्टैंडिंग श्रीमती विजय लक्ष्मी श्रीमती अनार कली व अन्य बनाम् उ0 प्र0 सरकार नरैटिव तैयार कर शासकीय अनुमति प्राप्त करते हुये दिनांक 13.10.2017 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त वाद में अगली सुनवाई की तिथि 17.01.2018 है। मण्डल स्तर के अन्य समस्त लम्बित वादों/अवमाननावादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल है।
28	पैक्ट लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29	कनहर, मिर्जापुर	10	2	12	10	2	12	0	0	0	-
30	स्वारा लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	1216	985	2201	1136	868	2004	64	52	116	16 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 65 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 16+65= 81

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र0 स0	माह जनवरी 2012 से माह अक्टूबर-2017 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अक्टूबर- 2017 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1216	985	2201	1136	868	2004	64	52	116	16 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 65 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 16+65=81

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 11/2017 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक),लखनऊ मा० उच्च न्यायालय।								
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	1090/सी /2014	दुर्गेश	श्री सुप्रभात सिंह, अधि० अभि०	2419/एस०एस०/12,	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दि० 28. 07.2014 का अनुपालना करने के संबंध में।	मा० न्यायालय का अनुपालन किया गया है।	मा० न्यायालय के निर्णय के समादर में कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक),लखनऊ मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	493/2014	अरुण कुमार	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव	209/2013	पुरानी अवधि से अ०अ० के पद के समस्त देयकों के भुगतान के संबंध में।	-	मा० न्यायालय में सुनवायी हेतु विचाराधीन।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (सोन),वाराणसी मा० उच्च न्यायालय।								
1	मूसा खण्ड बांध, प्रखण्ड, वाराणसी	2291/2013	बहादुर लाल	जे०एन० सिंह, मुख्य अभियन्ता	52279/11	प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने हेतु आदेश पारित हुआ है।	-	प्रतिवादी संख्या 01 तत्कालीन मु०अ० सोन सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होने मा० न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वह सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः वादी द्वारा नया प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किये जाने पर अवमाननावाद में शपथ पत्र दाखिल किया जा सकेगा अथवा अवमाननावाद मा० न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर नई पार्टी जोड़ने के लिए आदेश जारी करने पर ही अगले प्रतिवादी के नियुक्ति होने पर प्रतिवादी द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जा सकेगा। उक्त में पैरोकार अधिशासी अभियन्ता मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड
2	मुख्य अभियन्ता (सोन),वाराणसी मा० लोकसेवा अधिकरण।							

1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	—	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-9134/2016 का निस्तारण कर दिया गया है फलस्वरूप मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 24.02.2015 का Compliance शासन द्वारा किया जाना है तथा Compliance Report दाखिल करने हेतु नियति तिथि 23.10.2017 है।
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिवदास	उ0 प्र0 सरकार व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	—	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है तथा मा0 अधीकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा0पत्र संख्या-32/17 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ पत्र मा0 अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोंपरान्त दाखिल कर दिया गया है। अगली तिथि 18.12.2017 है।
मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी, मा0 लोक सेवा अधिकरण।								
1	534/2016 सचिदा नन्द त्रिपाठी प्रतिवादी, श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता द्वारा सेवानिवृत्त देयकों के विलम्ब से भुगतान के संबंध में।	वादी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता निर्देश या0 सं0 1070/2006 में मा0 अधिकरण द्वारा दि0 28.04.2016 को अन्तिमरूप से निस्तारित कर दिया गया अपने निस्तारण द्वारा ब्याज की धनराशि पर 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के निर्देश हैं।	वादी द्वारा निवृत्त याचिका सं0 1070/2006 में मा0 अधीकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा यह अवामाननावाद योजित किया गया है।	—	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	मा0 अधिकरण के आदेश दि0 28.04.2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दि0 20.02.2017 को याचिका दाखिल है।	प्रमुख अभियन्ता/ई-11 अनु0 पत्रांक-3143/ई-11/दिनांक 26.09.17 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन में भेजा गया है।
मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-द्वितीय), गोण्डा मा0 लोक सेवा अधिकरण।								
1	मु0अ0स0प0-2/स0न0ख0-5 गोण्डा	45/2017	राजवन्त शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ एवं वी0के0सिंह मुख्य अभियन्ता गोण्डा	7/2016	मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2016 द्वारा विपक्षीगण को आदेश निर्गत किया गया कि याची को सेवा सम्बन्धी समस्त सेवानिवृत्तक लाभ तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप 08.05.2015 के आदेशानुसार याची की पेंशन से काटी गयी 5 प्रतिशत की कटौती की धनराशि याची को प्रदान करें।	—	भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
2	स0न0ख0-5 गोण्डा	118/2014	गिरधर गोपाल	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव, व अन्य	139/10	श्रम न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी को रू0 116291.00 के भुगतान का आदेश दिया गया है उक्त के क्रम में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा कटौती की	आख्या दाखिल की जानी है।	वादी से वसूली की गयी धनराशि रू0 116291.00 में से उनके अन्य रू0 31841.00 की धनराशि की वसूली का समायोजन करते हुये शेष धनराशि का 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान सर्वेक्षण अनुसंधान लखनऊ द्वारा किया जाना है। ब्याज के भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है शेष धनराशि रू0 84850.00 का भुगतान पूर्व

						राशि तथा 8 प्रतिशत व्याज के भुगतान के आदेश दिये गये हैं। अनुपालन न होने के कारण तत्कम में वादी द्वारा अवमाननावाद योजित किया गया है।		में ही किया जा चुका है। अगली तिथि निर्धारित नहीं है।
3	मु0अ0स0प0-2/स0न0ख0-1 वासी	344/2017	राजवन्त शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ एवं एम0वी0सिंह, मुख्य अभियन्ता गोण्डा	1201/11	-	-	वार्षिक वेतन वृद्धि लगाये जाने के सम्बन्ध में।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता परियोजना/बेतवा झांसी मा0 उच्च न्यायालय								
1	मौ0बां0नि0ख0-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री0 पी0डी0वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका सं0 46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पेन्शन स्वीकृति करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया गया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी0डी0वर्मा प्रमुख अभियन्ता द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है जिसकी अगामी तिथि 15.12.2017 है।
मुख्य अभियन्ता परियोजना/बेतवा झांसी मा0 लोक सेवा अधिकरण।								
1	सिंचाई निर्माण खण्ड-2 ललितपुर	304/2017	मो0 जफरउल्लाह	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य।	1075/2007	मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 19.03.2010 को शासकीय क्षति की वसूली दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा शास्ति तथा दण्ड के विरुद्ध आदेश पारित किये गये थे।	-	मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में अवमाननावाद के सम्बन्ध में न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त होने के उपान्त तदानुसार मा0 अधिकरण में अनुपालन आरख्या दाखिल करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता पूर्वी गंगा / मुरादाबाद मा0 उच्च न्यायालय								
1	पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-2 हरिद्वारा	366/2017	जनक सिंह	विजय वीर सिंह यादव अधिशासी अभियन्ता	496/2009	1257/2016दिनांक 12.01.2017	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।	-
मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य / लखनऊ मा0 लोक सेवा अधिकरण।								
1	लघु डाल नहर खण्ड लखनऊ	17898/2017	लाल चन्द्र व अन्य	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख संचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ	1797/2016	प्रोन्नत वेतनमान 5000-8000 दिये जाने के सम्बन्ध में।	-	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन में लम्बित है स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(ध्यान सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(तारा चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)